

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: एफ 7 (185)परि/नियम/मु/98

जयपुर, दिनांक: 19.01.2010

समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
.....।

विषय:- चुनाव कार्य हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की बसों का
अधिग्रहण नहीं किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य में बाल वाहिनी योजना के अन्तर्गत पंजीकृत केवल पीले रंग की स्कूल बसों का उपयोग छात्र/छात्राओं को अध्ययनार्थ विद्यालय लाने एवं ले जाने के रूप में किया जाता है। चुनाव के दौरान शिक्षण संस्थाओं की बसों के अधिग्रहण से छात्र/छात्राओं को असुविधा होती है तथा शिक्षण कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः इस सम्बन्ध में उचित रहेगा कि पंचायती चुनाव, 2010 में शिक्षण संस्थाओं की बसों का अधिग्रहण चुनाव ड्यूटी द्वितीय प्राथमिकता पर किया जावे।

उप परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक: एफ 7 (185)परि/नियम/मु/98/55903

जयपुर, दिनांक: 19.01.2010

प्रतिलिपि :- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, को सूचनार्थ प्रेषित है।


उप परिवहन आयुक्त (नियम)